रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 143] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 19, 1994/भाद्र 28, 1916
NO. 143] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 19, 1994/BHADRA 28, 1916

वाणिज्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 1994

सार्वजनिक सूचना सं० 240/(पी एन)/92-97

फाईल सं० 18/3/ए एम-95 पालिसी/ई०पी०सी० जो-1.—निर्यात एवं आयात नीति, 1992–97 के पैरा 16 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा प्रक्रिया पुस्तक, 1992–97 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :–

(क) अध्याय-6, पैराग्राफ 100(6) का अन्तिम वाक्य "यदि उक्त उपलब्ध नहीं है तो मूल विनिर्माता का नई मशीन का बिक्री-मूल्य दर्शाने वाला प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है।" के स्थान पर "यदि उक्त उपलब्ध नहीं है तो मूल निर्माता का नई मशीन का बिक्री मूल्य दर्शाने वाला प्रमाण पत्र या पुराने पूंजीगत माल की अवशिष्ट आयु और उसी प्रकार

की नई मशीन का मूल्य दर्शाने वाला आयात के देश अन्तर्राष्ट्रीय रूप से विख्यात निरीक्षण एवं प्रमाणन अभिकरण का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जा सकता है" वाक्य रखा जाएगा ।

(ख) परिशिष्ट-15- उपाबन्ध (3) में कालम ज के बाद आने वाला वाक्य "उपर्युक्त सभी निर्यात सामान्य मुद्रा क्षेत्र देशों को वास्तव में और सीधे किया गया है" के स्थान पर "उपर्युक्त सभी निर्यात वास्तविक, सीधे* तीसरी पार्टी* के माध्यम से और मुक्त रूप से परिवर्तन मुद्रा में किया गया है" वाक्य रखा जाएगा ।

(ग) परिशिष्ट 15-उपाबन्ध (3) में अन्त मे टिप्पणी (3) के रूप में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा :-

"(3) *जो लागू न हो उसे काट दें ।"

2. इसे लोकहित में जारी किया जाता है ।

डॉ. पी. एल. संजीव रेड्डी, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अवर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th September, 1994

PUBLIC NOTICE NO. 240|(PN)|92-97

No. 18|3|AM-95|Policy|EPCG-I.—In exercise of the powers conferred under paragraph 16 of the Export and Import Policy, 1992-97, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendment in the Handbook of Procedure, 1992-97 :

(a) In Chapter VI, paragraph 100(vi), the last sentence reading as "If the same is not available, a certificate indicating the sale price of the new machine from the original manufacturer may be submitted." shall be substituted by a sentence reading as "If the same is not available, a certificate indicating the sale price of the new machine from the original manufacturer or a certificate from an internationally reputed Inspection and Certification Agency from the country of import, indicating the residual life of second hand capital goods and price of similar new machine may be submitted."

(b) In Appendix XV-Annexure (iii), the sentence reading as "All above exports made are physical, direct and to G.C.A. countries" appearing after Col. (h) shall be substituted by a sentence reading as "All above exports made are physical, direct*|through Third Party* and in freely conversible currency."

(c) In Appendix XV-Annexure (iii), following shall be added at the end as Note (iii) :—

"(iii) *Delete which is not applicable."

This issues in public interest.

DR. P. L. SANJEEV REDDY,
Director-General of Foreign Trade and Ex-Officio Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994